

भारत की राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]

नई दिल्ली, मंगलबार, फरवरी 17, 2015/माघ 28, 1936

No. 991

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2015/MAGHA 28, 1936

पोत परिवडन मंत्रालय

(दीयस्तंत्र और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2015.

सा.क.नि. 108(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुष्केद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दीपस्तम और दीपपोत महानिदेशालय (समूह "क" और "ख" गैर-तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोग किया जाना है, पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तम और दीपपोत महानिदेशालय में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :-

- 1. **संक्रिप्त नाम और प्रारंग.**—(1) इन नियमों का संक्रिप्त नाम दीपस्तंम और दीपपोत महानिदेशालय (प्रशासनिक अधिकारी) (समूह "क" गैर—तकनीकी पद) मर्ती नियम, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उनसे संलग्न वेतनमान वह होगा. जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. मतीं की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि. मतीं की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंम (5) से स्तंम (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निर्स्हता.- वह व्यक्ति, -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय कानून के अधीन अनुझेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिष्यल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आख्सणों, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रमाव नहीं डालेगी, जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

		to the second se		44 55
पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	(4) वेतन बैंड - 3, 15600 - 39100 रुपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए)	(5) चयन	(8) लागू नहीं होता
	(2) 01 (2015)*	(2) (3) 01 (2015)* साधारण * कार्यभार के आधार पर केन्द्रीय सेवा समृह 'क',	(2) (3) (4) 01 (2015)* साधारण वेतन बैंड - 3, 15600 - * कार्यभार के आधार पर केन्द्रीय सेवा समूह 'क', 39100 रुपए + ग्रेड	(2) (3) (4) (5) 01 (2015)* साधारण वेतन बैंड - 3, 15600 - 39100 रुपए + ग्रेड चयन

के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य	सीधे मतीं किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों हेतु लागू होंगी या नहीं	कोई हो	मती की पद्धति : सीधी मती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विमिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
अर्हताएं (7) लागू नहीं होता	(8) लागू नहीं होता	(a)	(10) प्रोन्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		मर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	प्रत्येक अवसर पर
प्रोन्नित वेतन बैंड 2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में ऐसे कार्यकारी अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की है और प्रशासन या स्थापना या लेखों से संबंधित 02 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	समूह 'क', विमागीय प्रोन्नित समिति जो प्रोन्नित पर विचार करने के लिए निम्निलिखित से मिलकर बनेगी:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
and the state of t	लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष	1 ,
टिष्पण 1.—जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए दिवार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी दिवार किया जाएगा परन्तु यह तब, जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें	(2) संयुक्त सम्निव, पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य	
से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक कर ली हो।	(3) महानिदेशक, दीयस्तंम और दीपपोत —सदस्य	
टिप्पण 2-प्रोन्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेदा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले अध्वता उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।	, si	
<u>प्रतिनियुक्ति</u>		
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी—		~
(क) (i) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं	, -	
या (ii) जिन्होंने मूल काढर या विभाग में बेतन बैंड −3, ग्रेड वेतन 5400 ₹ में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 05 वर्ष सेवा की है, या		

- (iii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन बैंड -2, ग्रेंड वेतन 4600 ₹ में नियमित आधार पर नियुक्ति के परचात् उस श्रेणी में 07 वर्ष सेवा की है, और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है :-

आवश्यक :-

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वैचलर की डिग्री।
- (ii) सरकारी कार्यालय या लोक क्षेत्र के उपक्रम अधवा स्वायत निकाय या कानूनी निकाय में प्रशासनिक, लेखा और स्थापन कार्यों का 05 वर्ष का अनुभव है।

टिप्पण 1.—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विमाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले घारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.—प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु—सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4.-प्रतिनियुक्ति के अधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाम केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण ग्रेतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

[फा. सं. 3/10/2013- प्रशा.-I]

कैप्टन ए. एम. सूरज, महानिदेशक, दीप स्तंम और दीप पोत

MINISTRY OF SHIPPING

(Directorate General of Lighthouses and Lightships)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2015

- G.S.R. 106(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Lighthouses and Lightships (Group 'A' and Group 'B' Non-Technical Posts) Recruitment Rules, 2002, in so far as they relate to the posts of Administrative Officer, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in Directorate General of Lighthouses and Lightships Ministry of shipping, namely:—
- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate General of Lighthouses and Lightships, (Administrative Officer) (Group 'A' non-Technical post) Recruitment Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the foresaid Schedule.
 - 4. Disqualification.—No person.—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may in consultation with the Union Public service Commission, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in those rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay/pay scale.	Whether selection post or non- selection.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer.	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'A', Gazetted, ministerial.	Pay band - 3 Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 6600.	Selection.	Not applicable.

other qualifications	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	probation, if	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	
(7)	(8)	(9)	(10)	
Not applicable.	Not applicable.	Two years. By promotion, failing which by deputatio		

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Executive Officer with seven years regular service in the grade in pay band -2 with grade pay of Rs. 4600 and successfully completed 2 weeks' training in Administration or Establishment or Accounts.	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of: (1) Chairman or Member, Public Union Service Commission -Chairman; (2) Joint Secretary,	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for each occasion.
Note 1: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of	Ministry of Shipping -Member; (3) Directorate General of Lighthouses and Lightship -Member.	2 0

the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay-scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation:

Officers under the Central or State Government:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadres or Department; or
- (ii) with 5 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-3 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (iii) with 7 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-2 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience;-

Essential:-

- Bachelor's Degree from a recognized university or Institute.
- (ii) 5 years experience in Administrative, Accounts and Establishment matters in Government office or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory body.

Note 1.-The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.-Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3.-The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

and the second s		
Note 4For purpose of appointment on		
deputation basis the service rendered on a regular		
basis by an officer prior to the 1st January, 2006		
(the date from which the revised pay structure		
based on the Sixth Central Pay Commission has		
been extended) shall be deemed to be service		
rendered in the corresponding grade pay or pay	*	
scale extended based on the recommendations of		
the Pay Commission except where there has been		
merger of more than one pre-revised scale of pay		
into one grade with a common grade pay or pay	, and the second	
scale and where this benefit will extend only for		
the post(s) for which that grade pay or pay scale	^ I	
is the normal replacement grade without any up-	*	gg is
TO THE PARTY OF TH		
gradation.		

[F. No. 3/ 10 /2013-Admn-I]

Capt. A M SUREJ, Director General of Lighthouses and Lightships